

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

सं. 87/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 703(अ).—केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 की 12) की धारा 168 और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विनियम, 2017 के नियम 45 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, आयुक्त, बोर्ड के अनुमोदन के साथ जुलाई, 2020 से सितंबर, 2020 की अवधि के दौरान किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार को पारेषित मालो या किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार से वापस आये मालो के संबंध में प्ररूप **जीएसटी आईटीसी-04** में घोषणा करने हेतु समय सीमा एतद्वारा नवंबर, 2020 के 30 वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. इस अधिसूचना को अक्टूबर, 2020 के 25 वें दिन से लागू माना जाएगा। पारे

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

No. 87/2020—Central Tax

G.S.R. 703(E).—In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, with the approval of the Board, hereby extends the time limit for furnishing the declaration in **FORM GST ITC-04**, in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker, during the period from July, 2020 to September, 2020 till the 30th day of November, 2020.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 25th day of October, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

सं. 88/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 704(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2020-केंद्रीय कर, दिनांक 21 मार्च 2020, जिसे सा.का.नि. 196(अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड -3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था में, निमंलिखित और संशोधन करती है , यथा :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 जनवरी 2021 से प्रभावी, शब्द "पांच सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ करोड़ रुपये " प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 13/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 21 मार्च 2020 को सा.का.नि. 196 (अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसमें अधिसूचना संख्या 70/2020-केंद्रीय कर , दिनांक 30 सितम्बर 2020, जिसे सा. का. नि. 596(अ) दिनांक 30 सितम्बर 2020, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।